

2026/20

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील आबूरोड

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि.दि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	365	114 बगैर जिला 02	0-0379 4-3751	अमराराम पुडा नरसाधी भाति अरसिधा सा. भूमणाला रहन-राजस्थान मकधरा वामीडा बैंक शाखा मानपुर	अमराराम पुडा नरसाधी भाति अरसिधा सा. भूमणाला रहन-राजस्थान वामीडा बैंक शाखा मानपुर	

मुतादिक मित्र/जमाबंदी संपत्र 1972 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया खाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रतपारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खातों में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का आबूरोड भू०अ०नि० भूमणाला की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दीबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का आबूरोड भू०अ०नि० भूमणाला की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।

दिनांक _____
 तहसील-आबूरोड
 नरसिंहा
 50 भू०अ०नि०
 128 भूमणाला

तहसीलदार आबूरोड
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला-सिरोही
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड